तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकेश कुमार भाटी पुत्र श्री मांगीलाल बर कोर्ट के सामने, दरवाजे के अन्दर मैन बाजार, गॉव बर, तहसील रायपुर, जिला पाली, राजस्थान 306105 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 85/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/323 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

25.03.22 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 21.08.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./326/2021/333 दिनांक 25.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जैतारण/राजस्व शाखा कलेक्ट्रैट पाली से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक/ एफ/ कलेक्ट्रेट पाली/ 1110320411/ 326/2021/1346 दिनांक 31.08.2021 के निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार जैतारण को प्रेषित करने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/2021/1486 दिनांक 28.09.2021 के अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया। तथा राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली को जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./326/2021/1347 दिनांक 31.08.2021 के अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाकर प्रतिलिपी आवेदक को दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, जैतारण को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया इस पर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जैतारण द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। तथा राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाकर नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली